Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

जगदीश पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बनाम

नरेन्द्रजीत सिंह पुत्र रायबन्स सिंह जाति जाट सिख निवासी चैनपुरा तहसील श्रीविजनगर आदि

किस्म मुकदमा:—प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11, 14 राज. उप.अधि. 1954 सपठित धारा 14 (4) राज.भू राज अधि. 1956

प्र0स0—140/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
19.10.2022	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फेरीकेन हाजिर। वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.08.2022 को फार्म न. 3 के साथ प्रस्तुत माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर प्रकरण रेफरेन्स/एलआर/554/ 2013/गंगानगर अनवान सरकार बनाम नरेन्द्रजीत सिंह आदि में पारित निर्णय दिनांक 04.12.2019 की प्रति पेश कर निवेदन किया कि माननीय मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 04.12.2019 में अप्रार्थी नरेन्द्रजीत आदि के पक्ष में निष्पादित इंतकाल 01 दिनांक 02.10.1999 खारिज कर दिया है। माननीय मण्डल के आदेश की पालना में चक चैनपुरा बारानी के खसरा न. 28/4 की कुल 16.4190 बारानी भूमि में 16.4190 भूमि रकबा राज दर्ज हो चुकी है। अतः हस्तगत शिकायत प्रार्थना पत्र का इसी स्तर पर निस्तारित किया जावे। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2074—77 की जमाबंदी का अवलोकन करने से पाया कि चक चैनपुरा बारानी के खसरा न. 28/4 की कुल 16.4190 बारानी भूमि में 16.4190 भूमि रकबा राज दर्ज हो चुकी है। अतः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 04.12.2019 के संदर्भ में हस्तगत शिकायत प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाने से शिकायत प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (अरविन्द कुमार जाखड़) अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.23 12:05:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner